लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर भोपाल–462021
दूरभाष–0755–2600124, ई–मेल mpdpicareermitra@gmail.com

क्रमांक/समग्र शि.अ./कॅरियर/काउंसिलिंग/2021/27 भोपाल,दिनांक 17/11/2021

प्रति,

1. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, समस्त संभाग, म.प्र.।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र.।
3. समस्त प्राचार्य, जिला/ब्लॉक एक्सीलेंस/मॉडल स्कूल, मध्य प्रदेश।

विषयः–विद्यालयों में आर्टिफिशियल इन्टेलिजेंस पर आधारित कॅरियर काउंसिलिंग व्यवस्था।

उपर्युक्त अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पैरा 4.35 में समस्त विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा साइकोमोटर डोमेन में आवश्यक क्षेत्रों में जानकारी प्रदान करने तथा कैरियर विकल्प का सुझाव देने हेतु आर्टिफिशियल इन्टेलिजेंस पर साफ्टवेयर के माध्यम से कॅरियर गाइडेंस गतिविधियां किये जाने का सुझाव दिया गया है। इस दृष्टि से निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैः–

1. विद्यालयों में आर्टिफिशियल इन्टेलिजेंस पर आधारित कॅरियर काउंसिलिंग व्यवस्था हेतु योजना के प्रथम चरण में प्रदेश के समस्त उत्कृष्ट एवं मॉडल विद्यालयों को सम्मिलित किया गया है। इस हेतु प्रत्येक विद्यालय में एक कॅरियर काउंसिलिंग सेल का गठन किया जाए तथा दो–दो शिक्षकों को काउंसलर के रूप में चिन्हित किया जाए। इन दो शिक्षकों को कॅरियर गाइडेन्स कार्यक्रम हेतु वेबिनार के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसकी तिथियां पृथक से सूचित की जाएंगी।
2. सभी संभागीय संयुक्त संचालक अपने कार्यालय से एक–एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे। इसी प्रकार सभी जिलों के ए.डी.पी.सी., समग्र शिक्षा अभियान अपने–अपने जिलों में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी होंगे।
3. समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत प्रत्येक विकासखण्ड में कैरियर गाइडेन्स सेल बनाने हेतु राशि उपलब्ध कराई गई है। तदनुसार जिला नोडल अधिकारी इस राशि से आवश्यक व्यवस्थाएं करेंगे।
4. कार्यक्रम प्रारंभ के पूर्व चिन्हित विद्यालयों में निम्नलिखित सुविधांए उपलब्ध होना सुनिश्चित की जानी हैः–

   5.1 कार्यक्रम हेतु पृथक से कम्प्यूटर व्यवस्था जिनमें कॅरियर कॉउसिलिंग सॉफ्टवेयर के उपयोग से शिक्षक विद्यार्थियों की काउंसिलिंग कर सकें।

   5.2 इन कंप्यूटर हेतु वाई–फाई मॉडेम सहित इन्टरनेट कनेक्शन।

5.3 अभिरूचि परीक्षण के लिए विद्यार्थी मोबाइल ला सकते है। विद्यार्थियों के पास मोबाइल नहीं होने की स्थिति में प्राचार्य तथा काउंसलर मोबाइल उपलब्ध कराएंगे।

6. इस कार्यक्रम हेतु मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग तथा आई.सी.एस. संस्था, लखनउ के मध्य एक एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया है। जिसमें आई.सी.एस. के तकनीकी सहयोग से प्रदेश के विद्यालयों में कॅरियर काउंसिलिंग का कार्या किया जाएगा।

7. कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ करने के पूर्व संभागीय संयुक्त संचालक, जिला नोडल अधिकारी तथा प्राचार्य, जिला/ब्लॉक एक्सीलेंस/मॉडल स्कूल चिन्हित शिक्षकों की जानकारी निर्धारित प्रारूप में संलग्न गूगल शीट में दिनांक 15 नवम्बर 2021 तक संचालनालय को प्रेषित करें।

(अभय वर्मा)
आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश

पृष्ठ. क्रमांक/समग्र शि.अ./कॅरियर/काउंसिलिंग/2021/28 भोपाल,दिनांक 17/11/2021

प्रतिलिपि :—

1. विशेष सहायक, माननीय राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग।
3. संचालक, इंस्टीट्यूट फॉर कॅरियर स्टडीज (ICS) 6, फैजाबाद रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश